



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-1-4-3/ हिन्दी / 2021 / 463

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. मीनकेतन प्रधान, प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़
2. डॉ. एम.एल. पाटले, सहा.प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल स्नातकोत्तर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. डी.एस. ठाकुर, सहा.प्राध्यापक, शास. महा. पामगढ़ जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्री भागीरथी महिपाल, सहा.प्राध्यापक, शास.एम.एम.आर. महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. देवेन्द्र शुक्ला, सहा.प्राध्यापक, जवाहर लाल नेहरू महा. सक्ति जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्री दिनेश प्रताप सिंह पैकरा, सहा.प्राध्यापक, शास. लोचन प्रसाद पाण्डेय महा. सारंगढ़ जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. मीनकेतन प्रधान, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पु.क्र. 2-3-1-4-3/ हिन्दी / 2021 / 464
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

08. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
09. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
10. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
11. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
12. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
13. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
14. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

26.07.2021
कुलसचिव (अकादमी)